बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, के अन्तर्गत विवाह के समय लडकी की उम्र 18 वर्ष एवं लडके की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होना अनिवार्य किया गया है। लडके व लडकी का छोटी आयु में बाल विवाह करना सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक रूप से हानिकारक तथा कानूनी दृष्टि से अपराध है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रमुख प्रावधान –

- बाल का अर्थ यदि बालक तो 21 वर्ष से कम एवं बालिका 18 वर्ष से कम आयु हो।
- धारा 3 (1) एवं 3 (2) के अनुसार बाल विवाह का पक्षकार अपने विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है। यदि वह वयस्क हो गया हो तो स्वंय के द्वारा और यदि अवयस्क हो तो अपने संरक्षक या वयस्क मित्र के द्वारा याचिका दायर की जा सकती है।
- धारा 3 (6) बाल विवाह यदि शून्य घोषित हो जाये तो भी इस विवाह से उत्पन्न बच्चे सभी उद्देश्यों के लिए वैद्य माने जायेगें।
- धारा (9) के अनुसार यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष बाल विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते है।
- धारा (10) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह का आयोजन करता/करवाता है या बाल विवाह के लिए किसी को दुष्प्रेरित करता है तो उसे 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनो हो सकते है।
- धारा (11) के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति माता–पिता, सरंक्षक या कोई भी अन्य बाल विवाह के आयोजन में शामिल होता है तो उसे 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते है।
- किसी भी परिस्थिति में किसी भी महिला को कारावास के दण्ड से दण्डित नहीं किया जा सकता है।

बाल विवाह की रोकथाम के प्रयास –

- बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार करना।
- आमजन को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारें में जानकारी देना।
- बाल विवाह की संभावना होने पर ग्राम सरपंच/आंगनबाडी कार्यकर्ता/एसडीएम/ तहसीलदार/ पटवारी/ स्कूल प्राचार्य आदि को सूचित करना।
- अपने साथ के लोगो, अपने समूह के साथियों आदि को बाल विवाह रोकथाम हेतु